न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 142/2020
जीसीएमएस संख्या– 2020/00327

1. गोपीलाल पिता लक्ष्मण जी जाति मीणा आयु 45 साल निवासी नरसिंहगढ़ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी मांगीलाल जी जाति मीणा आयु 40 साल निवासी नरसिंहगढ तह० निम्बाहेडा राजस्थान।
2. श्री बाबुलाल पिता रामलाल जी जाति मीणा आयु 45 साल निवासी नरसिंहगढ तह0 निम्बाहेडा राज०।
3. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा।

.... प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की और से:– अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश धाकड
प्रतिवादी नं० 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री हरिश सोलंकी

// निर्णय // दिनांक – 20.06.2023

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने न्यायालय हाजा में उक्त उनवान का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53.88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा नरसिंहगढ पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा में नया खाता सं0 208 की आराजी नम्बर 818 रकबा 0.8400 हैक्टेयर स्थित हैं। पुष्टि में नकल जमाबंदी पेश की।

2. उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अविभाजित सम्पत्ति होकर वादी का 17/42 हक हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 25/84 हक हिस्सा निहित होकर शामलाती स्वामित्व एवं आधिपत्य में हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी बंटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत हक हिस्से अनुसार अलग अलग बंटवारा नहीं होने से रकबे की कमी बढोत्तरी को लेकर आपस में आए दिन विवाद होता रहता है और उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादी के 17/42 हक हिस्से पर भी समुचित काश्त करने में रूकावट पैदा करते रहते है और आए दिन लडाई झगडा कर वादी को समुचित रूप से काश्त भी नहीं करने देते हैं, [illegible] वादी को अपने 17/42 हिस्से का बंटवारा कराकर राजस्व [illegible] इन्द्राज कराया जाना आवश्यक हो गया है व प्रतिवादी [illegible] 25/84– 25/84 हक हिस्सा जरिये बंटवारा न[illegible] सीमांकन [illegible] अलग बंटवारा करा रकबा व लगान की फाटनी [illegible] जाये व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का बाद तामील 17/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 25/84– 25/34 हिस्सा अलग अलग दर्ज करने हेतु जवाब पेश किया।

Scanned with OKEN Scanner

4. बहस व साक्ष्य के उपरान्त गुण अवगुण के आधार पर दिनांक 17.05.2022 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर निर्णय अनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/2055 दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो माफिक आदेशानुसार है।

5. **अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा नरसिंहगढ का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–**

अ– श्रीमति इन्द्राबाई पत्नि मांगीलाल मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 पूर्व	0.2500	1.25

कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर कुल लगान 1.25 रूपये

ब– श्री गोपीलाल पिता लक्ष्मण मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 पश्चिम	0.3400	1.70

कुल किता 1 कुल रकबा 0.34 हैक्टैयर कुल लगान 1.70 रूपये

स.– श्री बाबुलाल पिता रामलाल मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 मध्य	0.25	1.25 रूपये

कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल लगान 1.25 रूपये

6. तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा

7. आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या 142/2020 वाद
जीसीएमएस संख्या– 2020/00327

1. गोपीलाल पिता लक्ष्मण जी जाति मीणा आयु 45 साल निवासी नरसिंहगढ़ तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी मांगीलाल जी जाति मीणा आयु 40 साल निवासी नरसिंहगढ़ तह० निम्बाहेडा राजस्थान।
2. श्री बाबूलाल पिता रामलाल जी जाति मीणा आयु 45 साल निवासी नरसिंहगढ़ तह0 निम्बाहेडा राज०।
3. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा।

.... प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>वास्ते घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

इस वाद में दिनांक 17.05.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/2055 दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है। अतः वादी की और से अधिवक्ता श्री अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश धाकड की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री हरिश सौलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादीत भूमि मौजा नरसिंहगढ़ के खाता संख्या 208 की आराजी नम्बर 818 रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि का मौका पर कब्जा अनुसार फर्द बटवाडा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1– श्रीमति इन्द्राबाई पत्नि मांगीलाल मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 पुर्व	0.2500	1.25

कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर कुल लगान 1.25 रूपये

2– श्री गोपीलाल पिता लक्ष्मण मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 पश्चिम	0.3400	1.70

कुल किता 1 कुल रकबा 0.34 हैक्टैयर कुल लगान 1.70 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

3.– श्री बाबुलाल पिता रामलाल मीणा सा देह खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
818 मध्य	0.25	1.25 रूपये

कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल लगान 1.25 रूपये

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 20.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner